कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक– 764/184/आउशि/बजट/2018 भोपाल, दिनांक 9-5-2018

प्रति,

1.	प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
2.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3.	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल,जबलपुर,रीवा,इंदौर,ग्वालियर,सागर, उज्जैन मध्यप्रदेश

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत केन्द्रीयकृत (ग्लोबल) बजट आवंटन की संसूचना

संदर्भः–मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय का पत्र क्र0 445/आर 1133/चार/ ब–1/ दिनांक 14.3.2012

केन्द्रीकृत आहरण व्यवस्था हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक– 445/आर. 1133/चार/ब–1/दिनांक 14.3.2012 के अनुसार निम्नलिखित चिन्हित मदों में केन्द्रीयकृत (ग्लोबल) बजट आहरण व्यवस्था लागू की गई है।

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भी निम्नानुसार बजट आबंटन की व्यवस्था रहेगी। इन मदों में डी.डी.ओ.वार आवंटन जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है :–

स.क्र.	मद
1	**उददेश्य शीर्ष 11– वेतन भत्ते अन्तर्गत**
	001– वेतन
	003– मंहगाई भत्ता
	004– वाहन भत्ता
	005– आदिवासी क्षेत्र भत्ता
	006– मकान किराया भत्ता
	008 – अन्य भत्ते
	011– अनाज अग्रिम
	016– त्यौहार अग्रिम
	028–ग्रेड–पे
2	**उददेश्य शीर्ष 16– वेतन भत्ते (अखिल भारतीय सेवा अंतर्गत)**
	001– वेतन
	003– मंहगाई भत्ता
	005– आदिवासी क्षेत्र भत्ता
	006– मकान किराया भत्ता
	008 – अन्य भत्ते
	028– ग्रेड–पे

3	**उददेश्य शीर्ष 21– यात्रा भत्ता अंतर्गत**
	001– यात्रा भत्ता दौरे आदि पर
	002– यात्रा भत्ता स्थानान्तरण पर
4	**उददेश्य शीर्ष 22– कार्यालय व्यय अंतर्गत**
	002– दूरभाष व्यय
	005– बिजली एवं जल भार

2. गतवर्ष 2017–18 की भांति इस वर्ष 2018–19 में भी कार्यालय (बी.सी.ओ.) द्वारा उपरोक्त मदों में डी.डी.ओ.वार पृथक से आवंटन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इन मदों में डी.डी.ओ. द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत किये जाने पर, बी.सी.ओ. के बजट को संचालनालय कोष एवं लेखा के केन्द्रीय सर्वर द्वारा स्वतः ही संबंधित डी.डी.ओ. को उपलब्ध कराया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्त विभाग द्वारा Plan/Non plan वर्गीकरण को समाप्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप योजनाओं के बजट शीर्ष में परिवर्तन किया गया है। अतः पूर्व वेतन शीर्ष के पदस्थानी उपरोक्त नवीन वेतन शीर्ष से कर्मचारियों के पदों की Mapping कराई जाना सुनिश्चित करें।

4. डी.डी.ओ. को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि Post Database/Pay Record Database/Employee Database की उसी बजट लाईन से मिलान (mapping) हो जिसमें डी.डी.ओ. को उक्त पद के वेतन आहरण की अनुमति बी.सी.ओ. द्वारा दी गई है।

5. व्यय करते समय, शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं मितव्ययिता का पालन किया जावे।

(1) यात्रा भत्ता अंतर्गत मितव्ययिता का ध्यान रखा जावें। जहां अति आवश्यक हो वही यात्रा करें। यात्रा पूर्व नियंत्रण अधिकारी की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें और आदेश में यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य उल्लेखित हो ।

(2) शासकीय दूरभाष पर व्यय की सीमा का ध्यान रखा जावे। इस संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक– एफ.11–13/2015/नियम/चार, दिनांक 04.11.2015 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चत किया जावें।

(3) बिजली एवं जल प्रभार अंतर्गत व्यय की जाने वाले राशि में मितव्ययिता बरते। यदि शासकीय महाविद्यालय में शासन द्वारा संचालित संकायों एवं पाठयक्रमों के अतिरिक्त अन्य स्ववित्तीय अथवा जनभागीदारी योजना के अंतर्गत भी पाठयक्रम संचालित है, तो इन स्ववित्तीय, जनभागीदारी पाठयक्रमों के संचालन पर होने वाले बिजली व्यय की प्रतिपूर्ति महाविद्यालय स्वयं अपने स्त्रोत से करें।

(4) ग्लोबल बजट अन्तर्गत किसी भी शीर्ष में नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार तथा आवश्यक व्यय ही सुनिश्चित किया जावे।

कृपया वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत उपरोक्तानुसार उल्लेखित मदों में ग्लोबल बजट व्यवस्था अन्तर्गत नियमानुसार आहरण/भुगतान सुनिश्चित करें। शेष बजट शीर्षो/योजनाओं के अंतर्गत आवंटन इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से जारी किया जावेगा, उसे आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट किया जायेगा। किसी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क. 765/184/आउशि/बजट/18, भोपाल,दिनांक 9-4-2018
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर।
3. उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल
6. संबंधित समस्त कोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश